रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 376] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 14, 2017/माघ 25, 1938
No. 376] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 14, 2017/MAGHA 25, 1938

## महिला और बाल विकास मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2017

का.आ. 415(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता का निवारण करता है ;

और, भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय, एकीकृत बाल विकास सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम (जिसे इसमें इसके पश्चात् आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम कहा गया है ) के अधीन क्षेत्रीय कृत्यकारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का प्रशासन कर रहा है और फायदाग्राहियों में आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र कर्मचारिवृंद (एडब्ल्यू टीसी ) या माध्यमिक स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र (एमएलटीसी) अतिथि संकाय या रिसोर्स व्यक्ति और प्रशिक्षणार्थी जिन्हें प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र कर्मचारिवृंद (एडब्ल्यू टीसी ) या माध्यमिक स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र (एमएलटीसी) में नामांकित किया गया है, सम्मिलित है;

एकीकृत बाल विकास सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को सहायता अनुदान जारी किया जाता है और सरकारी संगठनों या स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा चलाए गए आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों (एडब्ल्यूटीएस) और माध्यमिक स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों (एमएलटीएस) में रिसोर्स व्यक्तियों या अतिथि संकाय को प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए मानदेय, परिवहन भत्ता और प्रोत्साहन, बोर्डिंग और वासा प्रदान किया जाता जिसमें भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अंतवर्लित है ।

अत: अब, केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :--

1. (1) आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन फायदों का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्तियों से यह अपेक्षित है कि वे आधार संख्यांक के कब्जे में होने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें ।

(2) आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन फायदों का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या

जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेगा ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम, 12 के अनुसार आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वियन करने के भारसाधक राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में महिला और बाल विकास विभाग, जो किसी फायदाग्राही से यह अपेक्षा करता है कि वह आधार प्रस्तुत करे, से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है जिनका आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया गया है और यदि संबंधित ब्लाक या तालुक या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है तो वहां आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन करने के भारसाधक राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में महिला और बाल विकास विभाग के स्थानीय प्राधिकारी यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे या रजिस्ट्रार, यूआईडीएआई बनकर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे:

परंतु फायदाग्राहियों को आधार समनुदेशित किए जाने के समय तक, आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए फायदे प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) पैरा 2 के उपपैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) (i) बैंक या डाकघर फोटो पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान पत्र; या (iii) राशन कार्ड; या (iv) किसान फोटो पासबुक; या (v) पासपोर्ट; (vi) या चालक अनुज्ञप्ति; या (vii) पेन कार्ड; या (viii) सरकार या किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा जारी कर्मचारी फोटो पहचान पत्र (ix) किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र; या (x) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी कोई पहचान प्रमाणपत्र, जिस पर फोटो लगी हो; या (xi) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) या सरकारी अस्पताल द्वारा जारी स्वास्थ्य कार्ड; या (xii) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेज इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पदाभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी ।

2. फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध मानदेय प्रदान करने के लिए, आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए भारसाधक राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में महिला और बाल विकास विभाग अपेक्षित सभी व्यवस्थाएं करेगा जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थात्:-

(1) स्थानीय मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार, आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के भारसाधक राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय/आंगनवाड़ी केन्द्र/ महिला और बाल विकास विभाग के माध्यम से आवश्यक अनुदेश और व्यष्टिक सूचनाएं आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम के भावी फायदाग्राहियों को दी जाएंगी जिससे कि उनको स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के बारे में जागरूक बनाया जा सके और उन्हें अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्रों पर आधार के लिए स्वयं को नामांकित करवाने के लिए सलाह दी जा सके, यदि उनका पहले से नामांकन नहीं किया गया है । स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उनको उपलब्ध करा दी जाएगी ।

(2) यदि फायदाग्राही, ब्लाक या तहसील या तालुक में आधार नामांकन केंद्रों की अनुपलभ्यता के कारण आधार के लिए नामांकन कराने में असमर्थ हैं तो आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम के भारसाधक राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में महिला और बाल विकास विभाग से अपेक्षा की जाती है कि वह सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाएं सृजित करें और फायदाग्राही से अनुरोध किया जाए कि वे बाल विकास परियोजना अधिकारी, आदि के पास पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक में यथा-विनिर्दिष्ट अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य ब्यौरे देकर आधार के लिए नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर करें

3. यह अधिसूचना, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 17/02/2016-आई सी डी एस प्रशिक्षण]

डा. राजेश कुमार, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

## NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2017

**S.O. 415(E).**—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Women and Child Development in the Government of India is administering various training courses to field functionaries under the Integrated Child Development Services Training Programme (hereinafter referred to as ICDS Training Programme) and the beneficiaries include staff of the Anganwadi Training Centers (AWTCs) or Middle level Training Centers (MLTCs), guest faculty or resource persons and trainees who are enrolled in the AWTCs or MLTCs for the training courses;

And whereas, under the ICDS training programme, the grant-in-aid is released to the State Governments and Union Territory Administrations. The Honorarium to resource persons or guest faculty for providing training, transport allowance and incentive, boarding and lodging to trainees at AWTCs and MLTCs run by the State Governments and Union Territory Administrations through Non-Governmental Organizations or Voluntary Organizations that involve recurring expenditures from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (herein after referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:–

1. (1) The desirous beneficiaries of ICDS training programme are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any desirous beneficiary of ICDS training programme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to make application for Aadhaar enrolment by 31st March, 2017 provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar Enrolment Centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Women and Child Development Department in the State Governments or Union Territory Administrations in-charge of implementing the ICDS training programme which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Women and Child Development Department in the State Governments or Union Territory Administrations in charge of implementing the ICDS training programme may provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the beneficiaries of ICDS training programme, benefits under the said training programme shall be given to such individual subject to the production of the following identification documents, namely:—

(a) (i) if she or he has enrolled, his Aadhaar enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and

b. i) Bank or Post Office photo passbook; or (ii) Voter ID Card; or (iii) Ration Card; or (iv) Kisan Photo Passbook; or (v) Passport; or (vi) Driving License; or (vii) PAN Card; or (viii) MGNREGS job Card; or (ix) Employee Photo Identity Card issued by the Government or any Public Sector Undertaking ; or (x) Any other Photo identity Card issued by State Government or Union Territory Administration; or (xi) Certificate of identity with photograph issued by a Gazetted Officer on official letterhead; or (xii) any other document specified by the State Government or Union Territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by State Government or Union Territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries, the Women and Child Development Department in the State Governments or Union Territory Administrations in-charge of implementing ICDS training programme, shall make all the required arrangements including the following, namely:–

(1) Wide publicity through media and individual notices through the Women and Child Development Department in the State Governments or Union Territory Administrations in-charge of implementing ICDS training programme shall be given to the prospective beneficiaries of ICDS training programme to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled for Aadhaar at the nearest enrolment centers available in their areas, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case the beneficiaries of ICDS training programme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of Aadhaar enrolment Centers in the Blocks or Tehsils or Talukas, the Women and Child Development Department in the State Governments or Union Territory Administrations in-charge of implementing the ICDS Training programme is required to create enrolment facilities for Aadhaar at convenient locations and the beneficiaries of ICDS training programme may register their request for enrolment by giving their name, address, mobile number and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the local authorities in-charge of implementation of the ICDS training programme.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all States and Union Territories except the State of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 17/02/2016-ICDS TR ]

Dr. RAJESH KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.02.15 15:54:05 +05'30'